न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 288/2015/राजस्व वाद

उनवान

1. मन्नाशाह पि. रहमानशाह जाति फकीर मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. महमूदशाह पि. रहमतशाह जाति फकीर मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – वकील अप्रार्थी – श्री हुकुमचन्द कुमावत

पेरोकार सरकार – तहसीलदार पिडावा

निर्णय **दिनांक :** 24/01/2023

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता स. 408 की आराजी किता 3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी ईदगाह पिडावा के खाते दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजियात खिदमतगार रहमानशाह पि. वजीरशाह को ईदगाह की सेवा चाकरी करने के एवज में परिवार के पालन पोषण भरण हेतु दी गई थी। जिस पर रहमानशाह अपनी सुविधानुसार खेती काश्त करते रहे। कृषक मन्नाशाह , पिराशाह , नूराशाह , भूराशाह सभी एक परिवार के सदस्य रहे है। वादग्रस्त आराजी सं. 2046–50 की जमाबंदी अनुसार मन्नाशाह मेहमदशाह पि. रहमानशाह एवं पिराशाह पि. भूराशाह अहतमान के खातेदारी में दर्ज होकर मन्नाशाह मेहमूदशाह का कब्जा काश्त रहा है। जमाबंदी सं. 2050–53 की जमाबंदी में सरकार ने बिना उचित आदेश माफी [illegible]वा की आराजी जो वादीगण के कब्जे काश्त में रही है [illegible] माफी ईदगाह

COURT 2022 (REPAIRED)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:11:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पिडावा दर्ज कर दी। यह प्रविष्टि गलत दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है परन्तु माफी ईदगाह दर्ज होने से समाज के ताकतवर लोग धमकाते है। वादीगण के पिता वादग्रस्त आराजी के खातेदार रहे है। वाद कारण वाद पेश करने के 3 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने धमकियां दी गई। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 78 , 79 , 80 किता 3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं दौराने वाद यदि इस भूमि पर अन्य व्यक्ति कब्जा कर ले तो उसे बेदखल किया जाकर वादीगण का कब्जा संभलाया जावे। वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं. 2070–73 , जमाबंदी सं. 2066–69 , जमाबंदी सं. 2022–41 , जमाबंदी सं. 2029–32 , नामा.सं. 241 , जमाबंदी सं. 2037–40 , जमाबंदी सं. 2046–49 , जमाबंदी सं. 2050–53 की नकले प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब करने पर पेरोकार सरकार जरिये नायब तहसीलदार पिडावा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्रा में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

वाद पत्र, जवाब पत्र, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पिडावा की दिनांक 04.01.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मस्जिद, दरगाह, इमाम बाडा, कब्रस्तान और मकबरो की सम्पत्ति जिनमें मुआफी बिस्वेदारी, इनामीदारी दर्ज थी जिनको मुत बल्लियों व्यवस्थापको , खादिमों , मुजाविरो व देख रेख करने वालो के नाम दर्ज कर दी है उन्हे उचित कार्यवाही कर औकाफ के नाम दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में यह पाया कि कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की आराजी ख. नं. 78 , 79 , 80 किता 3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि माफी ईदगाह पिडावा के नाम की है जो कि वादीगण अथवा उसके परिवारजन को सेवा चाकरी व परिवार के भरण पोषण हेतु काश्त करने हेतु दी हुई थी।

राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों अनुसार मंदिर, मस्जिद माफी की सम्पत्ति पर जमाबंदी में पूजारी या खादीम का नाम दर्ज करने के बजाय तहसील स्तर पर एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है जिसमें मंदिर, मस्जिद माफी की भूमि के पूजारी अथवा सेवादारो का नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:11:49 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022 (REPAIRED)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रकरण माफी ईदगाह पिडावा के नाम की कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 78 , 79 , 80 किता 3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि में पूजारी , सेवादार या खिदमतगार का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारीज किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जात है कि तहसील स्तर पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक रजिस्टर संधारित कर कार्यवाही सम्पादित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:11:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 288/2015/राजस्व वाद

उनवान

1. मन्नाशाह पि. रहमानशाह जाति फकीर मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. महमूदशाह पि. रहमतशाह जाति फकीर मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा –प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – वकील अप्रार्थी – श्री हुकुमचन्द कुमावत

पेरोकार सरकार – तहसीलदार पिडावा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत प्रकरण माफी ईदगाह पिडावा के नाम की कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 78 , 79 , 80 किता 3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि में पूजारी , सेवादार या खिदमतगार का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारीज किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जात है कि तहसील स्तर पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक रजिस्टर संधारित कर कार्यवाही सम्पादित की जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी जवाब		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:11:49 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022 (REPAIRED)

Scanned with CamScanner